



## अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्त्दाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्दा दीवानी)

आज अदालत सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय) मुकाम जयपुर

ब इजलास श्री गौरव बांकावत (आर.ए.एस.)

नितिन बनाम कैलाश

वाद पत्र बाबत तकासमा एवं रथाई निपेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकद्दमा नम्बर - दावा/163/2025

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री गौरव बांकावत व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट को स्वीकार किया जाकर वादीया का वाद विरुद्ध प्रतिवादी अन्तिम डिक्री किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट वादीगण व प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद करें। प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

निज ..... मुबलिंग ..... बाबत .....  
 खर्चा इस मुकद्दमे में मय सूद बशरह .....  
 फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....  
 का अदा करें।

बाबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19.09.2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत .....

ओहदा सहायक कलक्टर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदायलह	जयपुर शहर द्वितीय
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		00 00	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	

सहायक कलक्टर  
जयपुर शहर द्वितीय